मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर, 1995 (भाद्र 10, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की निर्मम हत्या पर (?) शोक उल्लेख

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना सहकारी शक्कर कारखाने के प्रबंधकों द्वारा कृषकों से क्रय किये गये गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, बंशीलाल जाटव, धरमूराय, सदस्य, कटनी तहसील के बरही थानान्तर्गत खदानों में कार्यरत श्रमिकों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर शहर के जयनगर में एक राजनैतिक महिला कार्यकर्ता की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम टोंकरा में तीन लोगों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री कंकर मुंजारे, गोपीकृष्ण नेमा, बच्चन नायक, सदस्य, छतरपुर जेल में मारपीट से एक कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. जवाहर नायक, सदस्य, रायपुर के जल संसाधन के इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल विभाग में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर के मोतीनगर थानान्तर्गत एक ट्रक में गौवध हेतु ले जाई जा रही गायें पकड़ी जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी विकास खण्ड के अनेक ग्रामों में चिकित्सा के अभाव में आदिवासियों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 22 सन् 1995) पर विचार किया जाय - चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(2) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश विस्थापित कल्याण विधेयक, 1995 (क्रमांक 9 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि. (2) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 6 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार सार्वजनिक ट्यूबवेल योजना की नीति बनाकर उसे तत्काल प्रभाव से लागू करे. "

(2) श्री सुरेन्द्र वर्मा तथा श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में अवैधानिक रूप से पशुओं का मांस लाने वाले वाहनों को राजसात करने संबंधी कानून बनाया जाय".

(3) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " इस सदन का यह मत है कि उज्जैन से झालावाड़ (राजस्थान) व्हाया आगर होते हुए रेलवे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये".

(4) श्री मांगीलाल भंडारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पटवारी हल्के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये".

(5) सर्वश्री नेमीचंद जैन, कैलाश कुण्डल तथा श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिये वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाये".

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 25 अगस्त, 1995 को नगरीय कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्रमांक 1680) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 7 अप्रैल, 1995 को वन मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 3570) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री नेमीचंद जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 31 अगस्त, 1995